तारकेश्वर साहू

बनाम

बिहार राज्य (अब झारखंड)

29 सितंबर, 2006

[एस.बी. सिन्हा और दलवीर भंडारी, जे.जे.]

दंड संहिता, *1860-धारा 354, 366, 375 और 376-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-धारा 222-आरोपी ने नाबालिग को बलात्कार करने के इरादे से जबरन अपने साथ ले गया और ऐसा करने से पहले ही उसे पकड़ लिया गया-ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को धारा 376 आर/डब्ल्यू 511 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया और उसे सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई-हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सजा और सजा की पुष्टि की-सत्यता-रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर माना गया कि आरोपी ने पीड़िता के निजी अंग में कोई प्रवेश नहीं किया-इसलिए, आरोपी को धारा 376 आर/डब्ल्यू 511 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया जाना तय है धारा 222 सीआरपीसी को लागू करते हुए, आरोपी को धारा 366 और 354 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया जाता है और क्रमशः 5 वर्ष और 2 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है।*

अपीलकर्ता ने नाबालिग अभियोक्ता को जबरन अपने साथ ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। जब अभियोक्ता ने शोर मचाया तो पीडब्लू 1, पीडब्लू 2, पीडब्लू 3, पीडब्लू 6 और अन्य सह-ग्रामीण तुरंत आ गए और अपीलकर्ता को उसके साथ बलात्कार करने से पहले ही पकड़ लिया। पीडब्लू 1 और अन्य ग्रामीण पुलिस स्टेशन गए और प्राथमिकी दर्ज कराई। अपीलकर्ता पर धारा 376/511 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध का आरोप लगाया गया। ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को धारा 376/511 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया और सात

साल की कैद की सजा सुनाई। उच्च न्यायालय ने अपील में ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सजा और सजा की पुष्टि की। इसलिए इस न्यायालय के समक्ष अपील की गई।

न्यायालय ने अपील को सहजतापूर्वक स्वीकार करते हुए

निर्णय: 1.1 अपीलकर्ता ने उसके साथ यौन संबंध बनाने के इरादे से उसे जबरन अपने साथ ले गया था। धारा 375 के तहत अपराध का महत्वपूर्ण घटक जो धारा 376 आईपीसी के तहत दंडनीय है, वह प्रवेश है जो इस मामले में पूरी तरह से गायब है। धारा 376 आईपीसी के तहत कोई भी अपराध तब तक नहीं बनाया जा सकता जब तक कि कुछ हद तक प्रवेश न हुआ हो। किसी भी हद तक प्रवेश के अभाव में, यह अपीलकर्ता के अपराध को धारा 375 आईपीसी के दायरे में नहीं लाएगा। प्रवेश का कोई भी प्रयास नहीं किया गया है। धारा 376/511 आईपीसी के तहत दोषसिद्धि पूरी तरह से अवैध और अस्थिर है। [19-बी-सी; 23-बी]

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम बाबू/नाथ, **[1994] 6 एससीसी 29** और अमन कुमार एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य**, [2004] 4 एससीसी 379**, का उल्लेख किया गया।

केरल राज्य/अव. कुंदुमकारा गोविंदम, [1969] सीआरएलजे 818 और निरमा/कुमार बनाम राज्य, (2002) सीआरएलजे 3352 (पी एंड एच) का उल्लेख किया गया।

आर बनाम हिल, [1781] 1 ईस्ट पीसी 439]; आर बनाम एम रु (1838) 8 सी एंड पी 641; आर बनाम एलन, (1839) 9 सी एंड पी 31; आर बनाम ह्यूजेस (1841) 2 मूड 190; आर बनाम लाइन्स, (1844) 1 सी एंड के 393; आर वी मार्सडेन (1891) 2 क्यूबी 149 और रेक्स वी जेम्स लॉयड, (1836) सी 7 सी और पी 317:173 ईआर 14, संदर्भित।

हेल्सबरी के इंग्लैंड और वेल्स के क़ानून, 4 वां संस्करण, खंड 121 और अपराध और न्याय का विश्वकोश (खंड 4 पृष्ठ 13561, संदर्भित।

1.3. अपीलकर्ता ने अभियोक्ता को अवैध संभोग करने के इरादे से जबरन ले जाया है। अपीलकर्ता द्वारा किया गया अपराध धारा 366 आईपीसी के दायरे में आता है। धारा 366 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध के आवश्यक तत्व इस मामले में स्पष्ट रूप से मौजूद हैं। अभियुक्त के कृत्य से यह साबित होता है कि अभियोक्ता के अपहरण या उसे जबरन ले जाने के दौरान, अभियुक्त का इरादा था या वह जानता था कि अभियोक्ता को अवैध संभोग करने के लिए मजबूर किया जाएगा। इसलिए, यह केवल अभद्र हमले के लिए अपहरण का मामला नहीं है, बल्कि जिस उद्देश्य से अभियुक्त द्वारा अपहरण किया गया था, वह साबित हो गया है। [13-सी; 26-एफ-जी; 28-सी]

लखजीत सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य, **[1994] सप. 1 एससीसी 173;** शमनसाहेब एम. मुल्तानी बनाम कर्नाटक राज्य**, [2001] 2 एससीसी 577** और राजेंद्र बनाम महाराष्ट्र राज्य, **[1997] एससीसी (सीआरआई) 840,** संदर्भित।

निरंजन सिंह बनाम राज्य (दिल्ली) **(1986) 2 अपराध 335** और विष्णु बनाम महाराष्ट्र राज्य, (**1997) (सीआरएलजे) 1724** (जन्म), संदर्भित।

खलीलुर रम्मन बनाम सम्राट, **एआईआर (1933) रंगून 98,** संदर्भित।

1.4. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों और दस्तावेजों के आधार पर अपीलकर्ता धारा 354 आईपीसी के तहत भी दोषी है, क्योंकि धारा 354 आईपीसी के सभी तत्व मौजूद हैं। [28-एफ]

राजू पांडुरंग महाले बनाम महाराष्ट्र राज्य, **[2004] 4 एससीसी 371;** रूपन देओल बजाज बनाम कंवर पाल सिंह गिल, एआईआर (**1996) एससी 309** और पंजाब राज्य बनाम मेजर सिंह, एआईआर (**1967) एससी 63**, संदर्भित।

मेजर सिंह लक्ष्मण सिंह बनाम राज्य, एआईआर **(1963) पुन: 443**; केर्सिला राज्य बनाम हम्सा, (**1988) 3** अपराध 161; कन्हू चरण पात्रा बनाम राज्य, (**1996**) सीआरएलजे 1151 (उड़ीसा); जय चंद बनाम राज्य, (**1996) सी.आर.एल.जे. 2039** (दिल्ली); राजा बनाम

राजस्थान राज्य, (1998) सी.आर.एल.जे. 1609 राजस्थान; कर्नाटक राज्य बनाम खलील, (2004) सी.आर.एल.जे. एन.ओ.सी.10; नुना बनाम एम्परर, 15 आईसी 309: 13 सी.आर.एल.जे. 469 और बिशेखर मुर्मू बनाम राज्य (2004) सी.आर.एल.जे. 326 (झारखंड); केशव पधान बनाम राज्य ओ/द्रिसा. (1976) कटक एल.आर. सी.आर. 236; राम मेहर बनाम हरियाणा राज्य, (1998) सी.आर.एल.जे. 1999 (पंजाब और हरियाणा); रामेश्वर बनाम हरियाणा राज्य, (1984) सी.आर.एल.जे. 786 (पंजाब और हरियाणा) और शौकत बनाम राजस्थान राज्य, (2002) सी.आर.एल.जे. 364 (राजस्थान), संदर्भित।

केनी द्वारा "Outlines of Criminal Law" (19वां संस्करण), संदर्भित।

2.3. मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध तैयारी के प्रारंभिक चरण में था। किया गया अपराध धारा 376/511 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध के दायरे में नहीं आता है। अपीलकर्ता पर धारा 376/511 आईपीसी के तहत आरोप लगाया गया था, लेकिन धारा 222 सीआरपीसी के प्रावधानों को लागू करने पर, बड़े अपराध के लिए आरोपित अभियुक्त को हमेशा छोटे अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, यदि मामूली प्रस्ताव के आवश्यक तत्व मौजूद हैं। रिकॉर्ड पर सभी साक्ष्य और दस्तावेजों के मूल्यांकन पर, अपीलकर्ता धारा 366 और 354 आईपीसी के तहत अपराधों का स्पष्ट रूप से दोषी है। धारा 366/354 आईपीसी के तहत अपीलकर्ता को दोषी ठहराकर न्याय का उद्देश्य पूरा किया जाएगा। अपीलकर्ता को धारा 366 आईपीसी के तहत पांच साल के कारावास की सजा सुनाई जाती है। अपीलकर्ता को धारा 354 आईपीसी के तहत भी दोषी ठहराया जाता है और दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है। [28-डी-ई; 34-ए-बी]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या I 036/2005।

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के आपराधिक अपील संख्या 277/1999 के दिनांक 6.8.2004 के निर्णय एवं आदेश से।

अपीलकर्ता की ओर से चंद्रकांत, सहायक न्यायाधीश।

प्रतिवादी की ओर से गोपाल प्रसाद एवं सरबजीत दत्ता।

न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित द्वारा सुनाया गया।

दलवीर भंडारी, जे। यह अपील झारखंड उच्च न्यायालय, रांची, झारखंड द्वारा आपराधिक अपील संख्या 277/1999 में पारित निर्णय के विरुद्ध है, जिसमें अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया गया था और अतिरिक्त न्यायिक आयुक्त, रांची के निर्णय को बरकरार रखा गया था, जिसके तहत अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 376/511 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी पाया गया था और उसे सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी।

संक्षेप में, इस अपील के निपटारे के लिए आवश्यक तथ्य निम्नलिखित हैं।

18 फरवरी, 1998 को लगभग 1.30 बजे, लगभग 12 वर्ष की तारा मुनि कुमारी शौच के लिए अपने घर से बाहर आई थी। उस समय अपीलकर्ता उसे जबरन अपने गुमटी में ले गया और उसके साथ अवैध यौन संबंध बनाया। अपीलकर्ता की उक्त गुमटी अभियोक्ता के घर से कुछ ही फीट की दूरी पर थी। आरोप है कि अभियोक्ता ने शोर मचाया और उसके तुरंत बाद पीडब्लू 1 राम चरण बैठा, सूचक और अभियोक्ता के पिता, सहदेव साहू पीडब्लू 2, देवनंदन साहू पीडब्लू 3, गांव के सरपंच, जेवालाल साहू पीडब्लू 6 सहित कई लोग बगल के घरों से आए और अपीलकर्ता को उसके साथ बलात्कार करने का कोई प्रयास करने से पहले ही पकड़ लिया। अभियोक्ता द्वारा उठाए गए शोर को सुनकर पीडब्लू 1 और अन्य सह-ग्रामीणों के तत्काल आ जाने के कारण इस घटना के तुरंत बाद, अभियोक्ता के पिता पीडब्लू 1 राम चरण बैठा ने अन्य ग्रामीणों के साथ पुलिस स्टेशन जाकर 2.30 बजे प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जो इस मामले में गवाह के रूप में पेश हुए थे। घटना के एक घंटे के भीतर ही प्राथमिकी दर्ज कर ली गई थी। सभी व्यक्ति जो पुलिस स्टेशन गए थे और बाद में गवाह के रूप में पेश हुए थे, वे सभी निकटवर्ती क्षेत्र में रहते थे और घटना के स्वाभाविक गवाह थे। अपीलकर्ता पर धारा

376/511 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोप लगाया गया था, जिसके लिए उसने दोषी होने की दलील नहीं दी और खुद को निर्दोष बताया। उसके अनुसार, उसे ज्ञान कुमार साहू पीडब्लू 5 और सूचक राम चरण बैठा पीडब्लू 1 के कहने पर इस मामले में झूठा फंसाया गया था।

अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को पुष्ट करने के लिए दस गवाहों की परीक्षा ली थी। अभियोक्ता तारा मुनि कुमारी से पीडब्लू 7 के रूप में पूछताछ की गई। सहदेव साहू पीडब्लू 2, एक सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षक, जो उसी इलाके में रहते थे। देवनंदन साहू, एक अन्य पड़ोसी से पीडब्लू 3 के रूप में पूछताछ की गई। अभियोक्ता के भाई बहादुर बाई से पीडब्लू 4 के रूप में पूछताछ की गई। मॉडर्न कॉलेज के छात्र ज्ञान कुमार साहू से पीडब्लू 5 के रूप में पूछताछ की गई। जेवालाल साहू से पीडब्लू 6 के रूप में पूछताछ की गई। अभियोक्ता की मां मंजू देवी से पीडब्लू 8 के रूप में पूछताछ की गई। अभियोक्ता के दादा राम प्रसाद बैठा से पीडब्लू 9 के रूप में पूछताछ की गई और ईश्वर दयाल सिंह, सहायक अवर निरीक्षक से पीडब्लू 10 के रूप में पूछताछ की गई।

पीडब्लू 1 से पीडब्लू 5 के बयान एक जैसे हैं, जिसमें उन सभी ने कहा है कि वे अभियुक्त और पीड़िता तारा मुनि कुमारी के घर के निकट ही रहते हैं। 18.2.1998 को प्रातः 1.30 बजे अभियोक्ता का शोर सुनकर वे उठे और अपीलार्थी की गुमटी की ओर दौड़े और देखा कि अभियोक्ता तारा मुनि कुमारी अपीलार्थी तारकेश्वर साहू के सामने रो रही थी। वहां बड़ी संख्या में ग्रामीण भी एकत्र हो गए थे। उन सभी की उपस्थिति में उसने बताया कि अपीलकर्ता ने उसे जबरदस्ती उठाया और उसकी लज्जा भंग करने के स्पष्ट इरादे से उसे अपनी गुमटी में ले गया, लेकिन अपीलकर्ता अपने प्रयास में विफल रहा, क्योंकि अभियोक्ता के शोर मचाने पर अभियोक्ता के पिता और अन्य ग्रामीण वहां एकत्र हो गए थे। पीडब्लू 1 से पीडब्लू 5 के बयान 24.6.1998 से 15.7.1998 के दौरान दर्ज किए गए। उनके बयान कुल मिलाकर सुसंगत संस्करण को बयान करते हैं। इन गवाहों ने आखिरकार जिरह का सामना किया। 12.8.1998 से 10.3.1999 तक जिन अन्य गवाहों की जांच की गई, उन्होंने अभियोजन पक्ष के संस्करण

का समर्थन नहीं किया और परिणामस्वरूप उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि 12.8.1998 से 10.3.1999 तक जिन गवाहों की जांच की गई, उन्हें अपीलकर्ता ने अपने पक्ष में कर लिया। अभियोजन पक्ष की पूरी कहानी का समर्थन करने वाले पीडब्लू 1 से पीडब्लू 5 के स्पष्ट और ठोस सबूत रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। अभियोक्ता, पीडब्लू 7 को पक्षद्रोही घोषित किया गया था, लेकिन अपनी जिरह में उसने स्पष्ट रूप से निम्नलिखित बातें कही थीं:

"तारकेश्वर साहू ने मेरे साथ बलात्कार करने की कोशिश की, लेकिन मेरे विरोध के कारण वह सफल नहीं हो पाया; वह अन्य लड़कियों से भी छेड़छाड़ करता था।"

आगे की जिरह में, अभियोक्ता 7 ने कहा कि "मैं नहीं बता सकता कि वह व्यक्ति कौन था।"

उपरोक्त कथन के आधार पर अभियोक्ता 7 को पक्षद्रोही घोषित किया गया। अभियोक्ता 8 और अभियोक्ता 9 ने भी अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया और उन्हें भी पक्षद्रोही घोषित किया गया। सहायक उपनिरीक्षक ईश्वर दयाल सिंह से अभियोक्ता 10 के रूप में पूछताछ की गई। उन्होंने गुमटी का विस्तृत विवरण दिया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उन्होंने गवाहों के बयान दर्ज किए हैं। गवाहों के बयानों के अनुसार, उन्होंने तारा मुनि और तारकेश्वर को गुमटी से बाहर आते देखा। अभियोक्ता ने स्पष्ट रूप से कहा कि अपीलकर्ता ने उसे जबरन उठाकर गुमटी के अंदर रखा। अभियोक्ता ने आगे कहा कि अपीलकर्ता ने उसे गुमटी के अंदर अपनी गोद में ले लिया और बलात्कार करने के इरादे से उसे लेटने के लिए कहा। ट्रायल कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ता तारकेश्वर साहू के खिलाफ धारा 376/511 आईपीसी के तहत आरोप को पूरी तरह से साबित कर दिया है। नतीजतन, अपीलकर्ता को धारा 376/511 आईपीसी के तहत दोषी पाया गया और उसे दोषी ठहराया गया और सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

निचली अदालत के फैसले से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने झारखंड उच्च न्यायालय, रांची में अपील दायर की थी। विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिलेख पर मौजूद संपूर्ण साक्ष्य

की सावधानीपूर्वक जांच की। उच्च न्यायालय ने पाया कि अपीलकर्ता के घर और सूचक पीडब्लू 1, अभियोक्ता के पिता के घर के बीच बारह फीट चौड़ी सड़क है। संबंधित गुमटी अपीलकर्ता के घर के पूर्व में थी और सड़क के सामने थी। जांच अधिकारी ने अपने साक्ष्य के पैरा 9 में यह प्रमाणित किया था कि अभियोक्ता जिस स्थान पर शौच के लिए गई थी, वहां से गुमटी की दूरी लगभग 50 गज थी। उच्च न्यायालय ने यह भी पाया कि अभिलेख पर यह दिखाने के लिए साक्ष्य मौजूद है कि पीडब्लू 2, 3, 4 और 5 के घर उक्त गुमटी के करीब स्थित थे। रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य से यह स्थापित हुआ कि अपीलकर्ता कथित घटना से पिछले तीन महीने पहले उक्त गुमटी में सोता था, जबकि उसके माता-पिता घर में सोते थे। उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के पूरे बयान की आलोचनात्मक जांच की थी। फैसले का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार है:

"पीडब्लू 7 तारा मुनि कुमारी, सूचक की बेटी ने बयान दिया है कि घटना की रात वह शौच के लिए अपने घर से बाहर आई थी और एक अज्ञात व्यक्ति ने उसे पकड़ लिया और उसे उक्त गुमटी में बंद करने का प्रयास किया और उसने शोर मचाया और पड़ोसी वहां आ गए और उन्होंने उक्त व्यक्ति को पकड़ लिया। हालांकि, अभियोजन पक्ष ने उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया। उसने अपनी जिरह में कहा है कि वह एक अंधेरी रात थी और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और वह उस आदमी को नहीं पहचान पाई और वह आज तक उसका नाम भी नहीं जानती।

तारा मुनि कुमारी की मां मंजू देवी, पीडब्लू 8 ने बयान दिया है कि तारा मुनि कुमारी शौच के लिए अपने घर से बाहर निकली थी और एक अज्ञात व्यक्ति ने उसके मुंह में कुछ ठूंसकर उसे गुमटी के अंदर ले गया और उसके शोर मचाने पर वह गुमटी के पास पहुंची और अपनी बेटी और उक्त व्यक्ति (तारकेश्वर साहू) को उक्त गुमटी से बाहर आते देखा। उसने यह भी बयान दिया है कि वह उस व्यक्ति को नहीं पहचानती है। अभियोजन पक्ष ने भी उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया है। अपनी जिरह में उसने खुलासा किया है कि जिस व्यक्ति ने

उसकी बेटी को उक्त गुमटी के अंदर ले जाया है, वह इलाके का निवासी नहीं है और वह उसे नहीं पहचानती है।

राम प्रसाद बैठा, पीडब्लू 9 तारा मुनि कुमारी के दादा, जिन्हें अभियोजन पक्ष ने भी पक्षद्रोही घोषित किया है, ने गवाही दी है कि तारा मुनि कुमारी ने उन्हें बताया था कि एक अज्ञात व्यक्ति उन्हें उक्त गुमटी में ले गया है। इसलिए, पीडब्लू 7,8 और 9 के साक्ष्य से ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने अपीलकर्ता को उस घटना में भागीदार के रूप में नामित नहीं किया है जिसमें तारा मुनि कुमारी को उस स्थान से ले जाया गया था जहां वह शौच के लिए गई थी। हालांकि, पीडब्लू 7 ने बहुत स्पष्ट रूप से गवाही दी है कि वहां एकत्र हुए लोगों ने उक्त व्यक्ति को पकड़ लिया था और पीडब्लू 3 देवनंदन साहू ने गवाही दी है कि पकड़ा गया व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि अपीलकर्ता था जिसे पुलिस स्टेशन लाया गया था। यहां यह उल्लेख करना भी उतना ही प्रासंगिक है कि पीडब्लू 7 और पीडब्लू 8 हालांकि अभियोजन पक्ष के मामले की पुष्टि करते हैं कि तारा मुनि कुमारी को उक्त गुमटी में ले जाया गया था और वहां बंद कर दिया गया था और उसने शोर मचाया था। पीडब्लू 1 सूचक राम चरण बैठा ने यह बयान दिया है कि उसकी बेटी तारा मुनि कुमारी के शोर मचाने पर वह अपीलकर्ता की गुमटी की ओर दौड़ा और पाया कि तारा मुनि कुमारी उक्त गुमटी के सामने रो रही थी और गांव वाले वहां आ गए। हालांकि, उसने यह भी कहा है कि तारा मुनि कुमारी गुमटी के अंदर शोर मचा रही थी और अपीलकर्ता ने गुमटी खोली और तारा मुनि कुमारी और अपीलकर्ता उक्त गुमटी से बाहर आ गए। उसने आगे यह भी बयान दिया है कि पूछताछ करने पर तारा मुनि कुमारी ने उसे बताया कि जब वह शौच के लिए आई थी तो अपीलकर्ता उसे जबरदस्ती उठाकर गुमटी के अंदर ले आया जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया लेकिन उसके शोर मचाने के कारण अपीलकर्ता उसके साथ दुष्कर्म करने में सफल नहीं हो सका।

पीडब्लू 2 सहदेव साहू, पीडब्लू 3 देवनंदन साहू और पीडब्लू 4 बहादुर बैठा ने शपथ पर अपने साक्ष्य में मुख्य विवरणों में सूचक की गवाही की पुष्टि की है। पीडब्लू 5 भी अलार्म बजने पर घटनास्थल पर आया था और जब वह घटनास्थल पर पहुंचा तो उसने गुमटी के

बाहर तारा मुनि कुमारी को देखा और उसे घटना के बारे में बताया गया। इसलिए, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य से यह साबित होता है कि तारा मुनि कुमारी को उक्त गुमटी में ले जाया गया और वहां बंद कर दिया गया और अलार्म बजने पर जब सूचक और अन्य लोग वहां एकत्र हुए तो वह अपीलकर्ता के साथ उक्त गुमटी से बाहर आई जिसे उनके द्वारा पकड़ लिया गया और पुलिस स्टेशन लाया गया और उक्त गुमटी के अंदर अपीलकर्ता ने उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया लेकिन बीच की परिस्थिति के कारण वह अपने प्रयास में सफल नहीं हो सका। यहां तक कि पीडब्लू 2 ने भी अपने जिरह के पैरा 9 में कहा है कि अपीलकर्ता के माता-पिता भी सूचक और अन्य लोगों के साथ अपीलकर्ता के साथ उक्त पुलिस स्टेशन गए थे, जिसे सूचक और अन्य लोगों ने पकड़ लिया था। यह स्पष्ट चरित्र की परिस्थिति है जो अपीलकर्ता की संबंधित घटना में भागीदारी के संबंध में अभियोजन पक्ष का समर्थन करती है और मामले के इस दृष्टिकोण में पीडब्लू 7 और पीडब्लू 8 द्वारा अपीलकर्ता की पहचान न करना ज्यादा असर नहीं करता है। इसके अलावा, पीडब्लू 10, आई. ओ जांच अधिकारी ने स्पष्ट रूप से बयान दिया है कि पीडब्लू 7 ने उसके सामने कहा है कि अपीलकर्ता ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे गुमटी में बंद कर दिया और उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया और पीडब्लू 8 ने अपने बयान में यह भी कहा है कि पीडब्लू 7 तारा मुनि ने उसे बताया था कि अपीलकर्ता उसे उक्त गुमटी में ले गया है। इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि पीडब्लू 7 और पीडब्लू 8 ने जानबूझकर इस मामले में अपीलकर्ता की भागीदार के रूप में पहचान के बारे में अपने साक्ष्य में कुछ छिपाया है। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष के अन्य गवाहों, जो घटना के स्वाभाविक, सक्षम और स्वतंत्र गवाह हैं, के भारी साक्ष्य के मद्देनजर पीडब्लू 7 और पीडब्लू 8 द्वारा अपीलकर्ता की इस घटना में भागीदार के रूप में पहचान न करना, अभियोजन पक्ष के मामले की विश्वसनीयता पर संदेह का बादल नहीं डालता है।"

उच्च न्यायालय ने यह भी देखा कि अभियोजन पक्ष के गवाहों में अपीलकर्ता के खिलाफ झूठी गवाही देने की कोई दुश्मनी नहीं थी। विवादित फैसले के अनुसार, एक तरफ अपीलकर्ता और दूसरी तरफ पीडब्ल्यू 1 से 4, 7, 8 और 9 के बीच दुश्मनी की कोई झलक नहीं थी। उच्च न्यायालय के अनुसार, सभी गवाह घटना के सबसे स्वाभाविक और स्वतंत्र गवाह थे और

ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं था जिससे पता चले कि उनमें अपीलकर्ता के खिलाफ झूठी गवाही देने की कोई दुश्मनी, द्वेष या प्रतिशोध था। मामले के इस दृष्टिकोण से, उच्च न्यायालय को उनकी गवाही को खारिज करने का कोई औचित्य नहीं दिखा। उच्च न्यायालय स्वतंत्र रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अपीलकर्ता को झूठे आरोप में फंसाने की संभावना पूरी तरह से खारिज हो गई। उच्च न्यायालय के अनुसार, अपीलकर्ता को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाने में निचली अदालत पूरी तरह से न्यायोचित थी और परिणामस्वरूप अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया।

अपराध के कारणों को देखते हुए, हमने स्वयं रिकॉर्ड पर मौजूद सभी साक्ष्यों और दस्तावेजों की जांच की है। साक्ष्यों की बारीकी से जांच और संयोजन करने के बाद भी, हम अपीलकर्ता की सजा के संबंध में निचली अदालतों द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से अलग दृष्टिकोण अपनाने के लिए खुद को राजी नहीं कर सके। हमारे विचार से, अभियोजन पक्ष का कथन सत्य और तथ्य दोनों है। हम स्पष्ट रूप से इस बात से सहमत हैं कि अपीलकर्ता ने अभियोक्ता को उसकी शील भंग करने के लिए जबरन गुमटी में ले गया था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, अभियोक्ता द्वारा शोर मचाने पर अभियोक्ता के पिता और अन्य ग्रामीण वहां एकत्र हो गए और उसे बचा लिया गया।

अब, हमारे विचार के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, वह भारतीय दंड संहिता की सही और उचित धाराओं से संबंधित है, जिसके तहत अपीलकर्ता को उसके द्वारा किए गए अपराध के अनुसार दोषी ठहराया जाना आवश्यक है। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने अपीलकर्ता को धारा 376/511 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया था। सही निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, हम धारा 375 आईपीसी की मूल सामग्री की जांच करना उचित समझते हैं, जो धारा 376 आईपीसी के तहत दंडनीय है, ताकि यह प्रदर्शित किया जा सके कि धारा 376/511 आईपीसी के तहत अपीलकर्ता की सजा कायम रह सकती है या नहीं।

"375. बलात्कार.- "बलात्कार" करने वाला वह व्यक्ति कहा जाता है जो, इसके बाद अपवादित मामले को छोड़कर, किसी महिला के साथ निम्नलिखित छह में से किसी भी विवरण के अंतर्गत आने वाली परिस्थितियों में संभोग करता है:-

पहला. उसकी इच्छा के विरुद्ध.

दूसरा. उसकी सहमति के बिना.

तीसरा. उसकी सहमति से, जब उसकी सहमति उसे या किसी ऐसे व्यक्ति को जिससे वह हितबद्ध है, मृत्यु या चोट के भय में डालकर प्राप्त की गई हो.

चौथा. उसकी सहमति से, जब पुरुष जानता है कि वह उसका पति नहीं है, और उसकी सहमति इसलिए दी गई है क्योंकि वह मानती है कि वह कोई दूसरा पुरुष है जिससे वह विधिपूर्वक विवाहित है या होने का विश्वास करती है.

पांचवां. उसकी सहमति से, जब, ऐसी सहमति देते समय, मानसिक अस्वस्थता या नशे के कारण या उसके द्वारा व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य के माध्यम से किसी नशीले या अस्वास्थ्यकर पदार्थ के प्रशासन के कारण, वह उस चीज की प्रकृति और परिणामों को समझने में असमर्थ है जिसके लिए वह सहमति देती है.

छठा. उसकी सहमति से या उसके बिना, जब वह नशे में हो सोलह वर्ष की आयु।

स्पष्टीकरण: बलात्कार के अपराध के लिए आवश्यक यौन संभोग का गठन करने के लिए प्रवेश पर्याप्त है।

अपवाद: किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध बनाना, जबकि पत्नी की आयु पंद्रह वर्ष से कम न हो, बलात्कार नहीं है।"

धारा 375 आईपीसी के तहत, ऊपर बताई गई छह श्रेणियां अपराध के मूल तत्व हैं। इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, अभियोक्ता की उम्र लगभग 12 वर्ष थी, इसलिए, उसकी सहमति अप्रासंगिक थी। अपीलकर्ता ने उसके साथ यौन संबंध बनाने के इरादे से उसे

जबरन अपनी गुमटी में ले गया था। धारा 375 के तहत अपराध का महत्वपूर्ण तत्व धारा 376 आईपीसी के तहत दंडनीय है, जो इस मामले में पूरी तरह से गायब है। धारा 376 आईपीसी के तहत कोई भी अपराध तब तक नहीं बनाया जा सकता जब तक कि कुछ हद तक प्रवेश न हुआ हो। किसी भी हद तक प्रवेश की अनुपस्थिति में अपीलकर्ता का अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के दायरे में नहीं आता। इसलिए, बलात्कार के आरोप को साबित करने के लिए मूल तत्व बल के साथ कृत्य को अंजाम देना है। अन्य महत्वपूर्ण घटक लेबिया मेजोरा या वल्वा या प्यूडेंडा के भीतर पुरुष अंग का प्रवेश है, जिसमें वीर्य का कोई उत्सर्जन हो या न हो या यहां तक कि पीड़ित के निजी अंग में पूरी तरह से, आंशिक रूप से या थोड़ा सा प्रवेश करने का प्रयास भी धारा 375 और 376 आईपीसी के उद्देश्य के लिए पर्याप्त होगा। इस न्यायालय को **राज्य उत्तर प्रदेश बनाम बाबुल नाथ**[1] के मामले में इस अपराध के मूल तत्वों से निपटने का अवसर मिला। इस मामले में, इस न्यायालय ने धारा 375 के तहत अपराध के मूल तत्वों से निम्नलिखित शब्दों में निपटा: - "

8. यहां यह ध्यान देने योग्य है कि आईपीसी की धारा 375 बलात्कार को परिभाषित करती है और धारा 375 का स्पष्टीकरण इस प्रकार है:

"स्पष्टीकरण: बलात्कार के अपराध के लिए आवश्यक यौन संभोग का गठन करने के लिए प्रवेश पर्याप्त है।"

ऊपर दिए गए स्पष्टीकरण से यह स्पष्ट है कि बलात्कार के आरोप को साबित करने के लिए आवश्यक तत्व बल और प्रतिरोध के साथ कृत्य को अंजाम देना है। बलात्कार का अपराध बनाने के लिए न तो आईपीसी की धारा 375 और न ही उससे जुड़ी व्याख्या में यह आवश्यक है कि पीड़ित/अभियोक्ता के गुप्तांग में लिंग का पूर्ण प्रवेश होना चाहिए। दूसरे शब्दों में बलात्कार का अपराध बनाने के लिए यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि वीर्य के उत्सर्जन के साथ पुरुष अंग का पूर्ण प्रवेश हो और हाइमन का टूटना हो।

---

1. [1994] 6 SCC 29.

यहां तक कि लेबिया मेजोरा या वल्वा या प्यूडेंडा के भीतर पुरुष अंग का आंशिक या मामूली प्रवेश वीर्य के उत्सर्जन के साथ या उसके बिना या यहां तक कि पीड़ित के गुप्तांग में प्रवेश का प्रयास भी आईपीसी की धारा 375 और 376 के उद्देश्य के लिए काफी होगा। ऐसा होने पर जननांगों को कोई चोट पहुंचाए बिना या वीर्य के कोई दाग छोड़े बिना भी इसे कानूनी रूप से बलात्कार का अपराध बनाना काफी संभव है। लेकिन जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, हमारे समक्ष प्रस्तुत मामले में पर्याप्त से अधिक साक्ष्य मौजूद हैं जो सकारात्मक रूप से दर्शाते हैं कि पीड़िता के साथ यौन गतिविधि हुई थी और उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया था, जिसके बिना उसे उस प्रकार की चोटें नहीं लगतीं जैसी उसकी जांच करने वाले डॉक्टर ने उसके गुप्तांग पर पाई हैं।"

केरल उच्च न्यायालय द्वारा केरल राज्य बनाम कुंदुमकार **गोविंदम**[2] के मामले में भी अपराध के तत्वों की जांच की गई है। इस मामले में न्यायालय ने निम्न प्रकार से टिप्पणी की:

"अपराध 376 आईपीसी का सार बलात्कार है और यह यौन संभोग को दर्शाता है। "संभोग" शब्द का अर्थ यौन संबंध है। इसे स्वतंत्र संगठन के सदस्यों द्वारा पारस्परिक लगातार कार्रवाई के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। एक रूपक के रूप में "संभोग" शब्द "वाणिज्य" शब्द की तरह लिंगों के संबंध पर लागू होता है। संभोग में एक संगठन के सदस्य द्वारा दूसरे संगठन का अस्थायी दौरा कुछ स्पष्ट रूप से परिभाषित और सीमित उद्देश्यों के लिए होता है। आने वाले संगठन का प्राथमिक उद्देश्य यौन संकट के परिणामस्वरूप नसों के अवरोध के माध्यम से उत्साह प्राप्त करना है। जब तक आने वाला सदस्य कम से कम आंशिक रूप से आने वाले संगठन द्वारा आच्छादित न हो, तब तक कोई संभोग नहीं होता है, क्योंकि संभोग पारस्परिकता को दर्शाता है। जांघों के बीच संभोग में आने वाला पुरुष अंग कम से कम आंशिक रूप से आने वाले जीव, जांघों द्वारा आच्छादित होता है; जांघों को एक साथ और कसकर रखा जाता है।"

2. (1969) Crl.J 818.

कॉन्साइस ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार "पेनेट्रेट" शब्द का अर्थ है "अंदर या उसके माध्यम से प्रवेश करना, गुजरना"। बलात्कार का गठन करने के लिए, धारा 375 आईपीसी के तहत प्रवेश के चिकित्सा साक्ष्य की आवश्यकता होती है, और ऐसा हो सकता है और हाइमन प्रभावी रहे। धारा 375 के स्पष्टीकरण के मद्देनजर, योनि में लिंग का प्रवेश मात्र बलात्कार का अपराध है। धारा 376 आईपीसी के तहत दोषसिद्धि के लिए थोड़ा सा प्रवेश भी पर्याप्त है।

इंग्लैंड में कानून की स्थिति भी यही है। बलात्कार का अपराध बनने के लिए, **प्रवेश**[3] होना चाहिए। यहां तक कि थोड़ा सा भी प्रवेश पर्याप्त होगा। जहां प्रवेश साबित हो गया था, लेकिन इतनी गहराई तक नहीं कि हाइमन को नुकसान पहुंचे, फिर भी इसे बलात्कार का अपराध बनाने के लिए पर्याप्त माना गया। इस सिद्धांत को आर बनाम **एम'रू**[4] और आर बनाम **एलन**[5] में स्थापित किया गया है। आर बनाम **ह्यूजेस**[6] और आर बनाम **लाइन्स**[7] के मामले में, कौल ने यह दृष्टिकोण अपनाया है कि 'हाइमन के टूटने का सबूत अनावश्यक है'। आर बनाम **मार्सडेन**[8] के मामले में, न्यायालय ने निर्धारित किया है कि 'अब वीर्य के वास्तविक उत्सर्जन को साबित करना अनावश्यक है; संभोग केवल प्रवेश के सबूत पर ही पूरा माना जाता है।

---

3. R. v. Hill (1781) I East PC 3439.

4. (1838) 8 c & p 641.

5. (1839) 9 c & p 31.

6. (I 841) 2 Mood 190

7. (1844) I C & K 393.

8. (1891) 2 QB 149.

9. (2002) CrLJ 3352 (P&H)

10. (1836) 7 C and P 317: 173 ER 14

"बलात्कार करने के इरादे से किए गए हमले के लिए कैदी को दोषी ठहराने के लिए, आपको यह संतुष्ट होना चाहिए कि जब कैदी ने अभियोक्ता को पकड़ा, तो उसने न केवल उसके शरीर पर अपनी वासनाओं को संतुष्ट करने की इच्छा की, बल्कि उसने ऐसा हर हाल में करने का इरादा किया, और उसकी ओर से किसी भी प्रतिरोध के बावजूद।" इसी तरह के एक मामले का फैसला बॉम्बे हाई कोर्ट के मिर्जा और ब्रूमफील्ड जेजे ने अहमद असल्त **मिरखान**[11] में किया था। उस मामले में शिकायतकर्ता, एक दूधवाली, उम्र 12 या 13 साल की, जो दूध बेचती थी, दूध देने के लिए आरोपी के घर में घुस गई। आरोपी जिस बिस्तर पर लेटा था, उससे उठा और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। फिर उसने अपने कपड़े और लड़की का पेटीकोट उतार दिया, उसे उठाया, बिस्तर पर लिटा दिया और उसकी छाती पर बैठ गया। उसने उसके रोने को रोकने के लिए अपना हाथ उसके मुंह पर रखा और अपना गुप्तांग उसके गुप्तांग से सटा दिया। कोई प्रवेश नहीं हुआ। लड़की ने संघर्ष किया और रोई, इसलिए आरोपी ने ऐसा करना बंद कर दिया और वह उठ गई, दरवाज़ा खोला और बाहर चली गई। यह माना गया कि आरोपी बलात्कार करने के प्रयास का दोषी नहीं था, बल्कि अभद्र हमला करने का दोषी था। बलात्कार करने और अभद्र हमला करने के अपराध के बीच अंतर यह है कि आरोपी की ओर से कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे पता चले कि वह उसके साथ यौन संबंध बनाने जा रहा है।

हेल्सबरी के इंग्लैंड और वेल्स के क़ानून, 4 वें संस्करण, खंड 12 में कहा गया है कि प्रवेश की थोड़ी सी भी डिग्री यौन संभोग को साबित करने के लिए पर्याप्त है।

अपराध और न्याय के विश्वकोश (खंड 4 पृष्ठ 1356) में कहा गया है "... यहां तक कि मामूली प्रवेश भी पर्याप्त है और उत्सर्जन अनावश्यक है"।

अमन कुमार एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य 1 12 के मामले में, इस न्यायालय ने निम्न प्रकार कहा:

---

11. आपराधिक अपील संख्या 161of1930. 12.8.1930 को निर्णय लिया गया, रतनलाल धीरजलाल द्वारा अपराध कानून में रिपोर्ट किया गया, पृष्ठ 922।

12. [2004] 4 SCC 379.

"बलात्कार के अपराध के लिए प्रवेश अनिवार्य शर्त है। प्रवेश को स्थापित करने के लिए, यह साबित करने के लिए स्पष्ट और ठोस सबूत होना चाहिए कि आरोपी के पुरुष अंग का कुछ हिस्सा महिला की योनि के लेबिया के भीतर था, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो।" भारतीय और अंग्रेजी न्यायालयों के निर्णयों की श्रृंखला को देखते हुए, यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि योनि में लिंग के प्रवेश की थोड़ी सी मात्रा भी आरोपी को धारा 375 आईपीसी के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त है, जो धारा 376 आईपीसी के तहत दंडनीय है।

स्थापित कानूनी स्थिति की पृष्ठभूमि में, जब हम इस मामले की जांच करते हैं, तो यह निष्कर्ष अपरिहार्य हो जाता है कि धारा 376/511 आईपीसी के तहत अपीलकर्ता की सजा पूरी तरह से अस्थिर है। प्रवेश की बात तो दूर, प्रवेश का कोई प्रयास भी नहीं किया गया है। अपीलकर्ता ने न तो खुद कपड़े उतारे थे और न ही अभियोक्ता से कपड़े उतारने के लिए कहा था, इसलिए प्रवेश का कोई सवाल ही नहीं उठता। प्रवेश के किसी भी प्रयास के अभाव में, धारा 376/511 आईपीसी के तहत सजा पूरी तरह से अवैध और अस्थिर है।

इस मामले में, आरोपी पर केवल धारा 376/511 आईपीसी के तहत आरोप लगाए गए हैं। किसी अन्य धारा के तहत आरोप के अभाव में, अब सवाल उठता है - क्या आरोपी को बरी किया जाना चाहिए; या क्या उसे लड़की की शील भंग करने से संबंधित किसी अन्य अपराध के लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में, हम दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 222 का प्रयोग करना चाहेंगे, जिसमें प्रावधान है कि ऐसे मामले में जहां अभियुक्त पर कोई बड़ा अपराध करने का आरोप लगाया गया है और उक्त आरोप साबित नहीं होता है, अभियुक्त को छोटे अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, भले ही उस पर कोई आरोप न लगाया गया हो। धारा 222 सीआरपीसी इस प्रकार है:-

> "222. जब साबित किया गया अपराध आरोपित अपराध में सम्मिलित हो.-- {1) जब किसी व्यक्ति पर कई विशिष्टियों से मिलकर बने अपराध का आरोप लगाया जाता है, जिनमें से केवल कुछ का संयोजन एक पूर्ण लघु अपराध का गठन करता है, और ऐसा संयोजन साबित हो जाता है, लेकिन शेष विशिष्टियां साबित नहीं होती हैं, तो उसे लघु

अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जा सकता है, भले ही उस पर इसका आरोप नहीं लगाया गया हो।

(2) जब किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप लगाया जाता है और ऐसे तथ्य साबित हो जाते हैं जो उसे लघु अपराध बनाते हैं, तो उसे लघु अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जा सकता है, भले ही उस पर इसका आरोप नहीं लगाया गया हो।

(3) जब किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप लगाया जाता है, तो उसे ऐसे अपराध को करने के प्रयास के लिए दोषसिद्ध किया जा सकता है, भले ही प्रयास पर अलग से आरोप नहीं लगाया गया हो।

(4) इस धारा की कोई भी बात किसी लघु अपराध के लिए दोषसिद्धि को अधिकृत करने वाली नहीं समझी जाएगी, जहां उस लघु अपराध के संबंध में कार्यवाही शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें पूरी नहीं हुई हैं।"

इस धारा में दो उदाहरण दिए गए हैं जो इस बात का पर्याप्त वर्णन करेंगे कि जब किसी अभियुक्त पर बड़े अपराध का आरोप लगाया जाता है और बड़े अपराध के तत्व गायब होते हैं तथा छोटे अपराध के तत्व बनते हैं तो उसे छोटे अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, भले ही उस पर इसका आरोप न लगाया गया हो। उक्त धारा में दिए गए दोनों उदाहरण इस प्रकार हैं:

"(क) क पर भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 407 के अंतर्गत उस संपत्ति के संबंध में आपराधिक न्यासभंग का आरोप लगाया गया है जो उसे वाहक के रूप में सौंपी गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने संपत्ति के संबंध में उस संहिता की धारा 406 के अंतर्गत आपराधिक न्यासभंग किया था, लेकिन वह संपत्ति उसे वाहक के रूप में नहीं सौंपी गई थी। उसे उक्त धारा 406 के अंतर्गत आपराधिक न्यासभंग का दोषी ठहराया जा सकता है। (ख) क पर भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 325 के अंतर्गत गंभीर चोट पहुंचाने का

आरोप लगाया गया है। वह साबित करता है कि उसने गंभीर और अचानक उकसावे पर काम किया। उसे उस संहिता की धारा 335 के अंतर्गत दोषी ठहराया जा सकता है।"

लखजीत सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब[13] राज्य मामले में, इस न्यायालय को विधि के समान प्रश्न की जांच करने का अवसर मिला। इस मामले में, अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आरोप लगाया गया और मुकदमा चलाया गया, लेकिन धारा 302 के तत्व गायब थे, लेकिन धारा 306 के तत्व मौजूद थे, इसलिए, न्यायालय ने अपीलकर्ता की सजा को धारा 302 से धारा 306 आईपीसी में बदलना उचित समझा। इस मामले में, यह आग्रह किया गया कि अभियुक्त पर धारा 306 आईपीसी के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता क्योंकि अभियुक्तों को धारा 306 आईपीसी के तहत आरोप प्रस्तुत करने के लिए नोटिस नहीं दिया गया था और इसलिए, धारा 306 आईपीसी के तहत आरोप तय न करके वे पक्षपातपूर्ण हैं; इसलिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-ए के तहत अनुमान नहीं लगाया जा सकता है और परिणामस्वरूप धारा 306 आईपीसी के तहत दोषसिद्धि नहीं दी जा सकती है। इस न्यायालय के अनुसार, तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, धारा 306 लागू हुई और धारा 302 आईपीसी के तहत अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि को रद्द कर दिया गया तथा इसके बजाय उन्हें धारा 306 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया गया।

शमनसाहेब एम. मुतनी बनाम कर्नाटक[13] राज्य के मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 222 से निपटने का अवसर मिला। न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जब किसी अभियुक्त पर किसी बड़े अपराध का आरोप लगाया जाता है और यदि बड़े अपराध के तत्व सिद्ध नहीं होते हैं, तो अभियुक्त को छोटे अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, यदि छोटे अपराध के तत्व उपलब्ध हों। प्रासंगिक चर्चा निर्णय के पैराग्राफ 16, 17 और 18 में है, जो इस प्रकार है: -

---

13. [1994] Supp 1 SCC 173.

14. [20011 2 SCC 577.

"16. संहिता की धारा 222 के प्रयोजन के लिए "मामूली अपराध" का क्या अर्थ है? यद्यपि उक्त अभिव्यक्ति संहिता में परिभाषित नहीं है, फिर भी संदर्भ से यह समझा जा सकता है कि मामूली अपराध का परीक्षण केवल यह नहीं है कि निर्धारित दंड बड़े अपराध से कम है। धारा में दिए गए दो उदाहरण उपरोक्त बिंदु को अच्छी तरह से स्पष्ट करते हैं। केवल तभी जब दोनों अपराध समान अपराध हों, जिसमें मुख्य तत्व समान हों, उनमें से कम सजा वाले अपराध को दूसरे अपराध की तुलना में मामूली अपराध माना जा सकता है।

17. धारा 304-बी आईपीसी के तहत अपराध की संरचना धारा 302 आईपीसी के तहत हत्या के अपराध की संरचना से बहुत अलग है और इसलिए पूर्व को बाद वाले की तुलना में मामूली अपराध नहीं माना जा सकता है। हालाँकि, स्थिति तब अलग होगी जब आरोप में धारा 498-ए आईपीसी (महिला के पति या पति के रिश्तेदार द्वारा उसके साथ क्रूरता करना) के तहत अपराध भी शामिल हो। जैसा कि "क्रूरता" शब्द की व्याख्या इस प्रकार की जाती है अन्य बातों के साथ-साथ,

"महिला का उत्पीड़न, जहां ऐसा उत्पीड़न उसे या उसके किसी संबंधित व्यक्ति को किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की किसी अवैध मांग को पूरा करने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से किया जाता है या उसके या उसके किसी संबंधित व्यक्ति द्वारा ऐसी मांग को पूरा करने में विफलता के कारण किया जाता है।"

18. इसलिए जब किसी व्यक्ति पर धारा 302 और 498-ए आईपीसी के तहत अपराध का आरोप लगाया जाता है, जिसमें आरोप लगाया जाता है कि उसने शादी के 7 साल की अवधि के भीतर दहेज की मांग के साथ दुल्हन को परेशान करने के बाद उसकी हत्या कर दी, तो इस मामले की तरह ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है कि आरोपी के खिलाफ हत्या का अपराध साबित नहीं होता है। फिर भी, धारा 304-बी आईपीसी के तहत अपराध के लिए आवश्यक सभी अन्य तत्व स्थापित हो जाएंगे। क्या आरोपी को

धारा 304-बी आईपीसी के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, बिना उक्त अपराध के आरोप का हिस्सा बने?"

अभियोजन पक्ष के साक्ष्य और अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजों के सावधानीपूर्वक विश्लेषण के बाद, अपीलकर्ता को धारा 376/511 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, अपीलकर्ता ने अभियोक्ता को उसके साथ अवैध संबंध बनाने के लिए जबरन अपनी गुमटी में ले गया था। लेकिन इससे पहले कि अपीलकर्ता अभियोक्ता के साथ बलात्कार कर पाता, उसने शोर मचा दिया और उसके तुरंत बाद, उसके पिता पीडब्लू 1 राम चरण बैठा और आसपास के इलाकों में रहने वाले अन्य ग्रामीण मौके पर इकट्ठे हो गए और उसके तुरंत बाद, अपीलकर्ता और अभियोक्ता गुमटी से बाहर आ गए। इस मामले को देखते हुए, धारा 376/511 आईपीसी के तहत कोई अपराध नहीं बनता है।

इस मामले को देखते हुए, यह कानूनी स्थिति की जांच करना आवश्यक हो गया है कि क्या अपीलकर्ता का अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 366 और 354 के तहत महिला/लड़की की गरिमा को ठेस पहुंचाने से संबंधित अन्य प्रावधानों के अंतर्गत आता है।

आईपीसी की धारा 366 निम्नानुसार निर्धारित की गई है:

"366. किसी स्त्री को विवाह के लिए विवश करना, अपहरण करना या उत्प्रेरित करना, आदि- जो कोई किसी स्त्री को इस आशय से अपहरण या अपहरण करता है कि उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए विवश किया जाए, या यह जानते हुए कि उसे विवश किया जाएगा, या ताकि उसे अवैध संभोग के लिए विवश या बहकाया जा सके, या यह जानते हुए कि उसे विवश या बहकाया जाएगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जो दस वर्ष तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा; और जो कोई, जैसा कि इस संहिता में परिभाषित है, आपराधिक धमकी या अधिकार के दुरुपयोग या विवश करने की किसी अन्य विधि द्वारा, किसी स्त्री को किसी स्थान से जाने के लिए इस आशय से या यह जानते हुए

कि उसे विवश या बहकाया जाएगा, उत्प्रेरित करता है, वह पूर्वोक्त रूप में दण्डनीय होगा।"

धारा 366 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध का आवश्यक तत्व यह है कि जब कोई व्यक्ति उस धारा में निर्दिष्ट इरादे से नाबालिग लड़की को जबरन ले जाता है, तो अपराध स्पष्ट रूप से बनता है। वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता ने लगभग 1.30 बजे अभियोक्ता/पीड़िता को अवैध संभोग करने के इरादे से जबरन अपनी गुमटी में ले जाया है, तो अपीलकर्ता द्वारा किया गया अपराध धारा 366 आईपीसी के चार पहलुओं के अंतर्गत आता है। हमारे विचार से, धारा 366 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध के आवश्यक तत्व इस मामले में स्पष्ट रूप से मौजूद हैं। हम कुछ तय मामलों के अनुपात को संक्षेप में प्रस्तुत करना उचित समझते हैं।

खलीलुर रमन बनाम सम्राट[15] में, पूर्ण पीठ ने कहा है कि

"आरोपी का इरादा धारा 366 के तहत अपराध का आधार और मुख्य बिंदु है। इस बात पर विचार करते समय कि क्या इस धारा के तहत कोई अपराध किया गया है, महिला की इच्छा, इरादा और आचरण शून्य है, सिवाय इसके कि वे उस इरादे से संबंधित हों जिसके साथ आरोपी ने उसका अपहरण किया या उसे भगाया। यदि आरोपी ने आवश्यक इरादे से महिला का अपहरण किया या उसे भगाया, तो अपराध पूरा हो जाता है, चाहे आरोपी अपने उद्देश्य को पूरा करने में सफल हुआ हो या नहीं, और भले ही घटना में महिला ने वास्तव में विवाह या अवैध संभोग के लिए सहमति दी हो।"

राजेंद्र बनाम महाराष्ट्र[16] ***राज्य*** में, पूर्ण पीठ ने निम्नलिखित टिप्पणी की है:

"जहां न्यायालयों ने अपने निष्कर्ष को दर्ज करने के लिए ठोस और ठोस कारण दिए

---

15. AIR (1933) Rangoon 98.
16. [1997] SSC Cri 840.

थे कि आरोपी ने पीड़ित लड़की को अवैध संभोग के लिए बहकाने के इरादे से उसका अपहरण किया था, धारा 366 के तहत आरोपी की दोषसिद्धि में हस्तक्षेप नहीं किया गया।"

निरंजन सिंह बनाम राज्य (दिल्ली)[17] में दिल्ली उच्च न्यायालय ने संकेत दिया कि किन परिस्थितियों में धारा 366 आईपीसी के तहत अपराध बनता है। इस मामले में, न्यायालय ने धारा 366 आईपीसी के तहत एक मामले पर विचार करते हुए निम्नलिखित टिप्पणी की:

> "जहां अभियोक्ता, जो छह वर्ष की लड़की है, के बयान से यह स्पष्ट है कि आरोपी उसे बिस्कुट दिलाने के बहाने सार्वजनिक शौचालय में ले गया, उसकी सलवार और अपनी पैंट उतार दी, उसे फर्श पर लिटा दिया और उस पर झुक गया, तभी इलाके के एक चौकीदार ने उसे पकड़ लिया, तो आरोपी बलात्कार के प्रयास का दोषी नहीं होगा, हालांकि वह भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के तहत अपराध का दोषी होगा।"

विष्णु बनाम महाराष्ट्र राज्य[18] में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने निम्न प्रकार से टिप्पणी की: "आरोपियों पर आरोप है कि उन्होंने 16 वर्ष से कम आयु की लड़की को उसके माता-पिता की वैध संरक्षकता से अगवा किया और उसे दूसरे शहर ले गए। सह-आरोपी ने लड़की से केवल मुलाकात की थी और उसे आरोपी के साथ जाने के लिए नहीं उकसाया था। इसलिए, उसकी सजा को रद्द कर दिया गया। जहां तक आरोपी का सवाल है, उसके अपहरण का अपराध सभी संदेहों से परे साबित हुआ और उसे धारा 363/366 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया गया। हालांकि, आरोपी को धारा 375 आईपीसी के तहत बलात्कार के आरोप से बरी कर दिया गया क्योंकि लड़की की योनिच्छद बरकरार थी और यौन संभोग का संकेत देने वाले किसी भी प्रकार के चोट या हिंसा के बाहरी निशान नहीं थे और परिणामस्वरूप बलात्कार नहीं हुआ था।"

---

17. (1986) 2 Crimes 335.
18. (1997) CrLJ 1724 Bom.

इस मामले में, अभियुक्त के कृत्य से यह साबित होता है कि अभियोक्ता के अपहरण या उसे जबरन गुमटी में ले जाने के दौरान, अभियुक्त का इरादा था या वह जानता था कि अभियोक्ता को अवैध संभोग के लिए मजबूर किया जाएगा। इसलिए, यह केवल अभद्र हमले के लिए अपहरण का मामला नहीं है, बल्कि जिस उद्देश्य से अभियुक्त द्वारा अपहरण किया गया था, वह साबित हो गया है। यह अलग बात है कि अभियुक्त अपराध करने की तैयारी के चरण में ही विफल हो गया।

मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, हमारा मानना है कि अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध तैयारी के प्रारंभिक चरण में था। किया गया अपराध धारा 376/511 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध के दायरे में नहीं आता है। किया गया अपराध पूरी तरह से धारा 366 और 354 आईपीसी के तत्वों को कवर करता है। अपीलकर्ता पर धारा 376/511 आईपीसी के तहत आरोप लगाया गया था, लेकिन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 222 के प्रावधानों को लागू करने पर बड़े अपराध के लिए आरोपित अभियुक्त को हमेशा छोटे अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। यदि छोटे अपराध के आवश्यक तत्व मौजूद हैं।

धारा 354 आईपीसी के तहत, क्योंकि धारा 354 आईपीसी के सभी तत्व इस मामले में मौजूद हैं।

धारा 354 आईपीसी इस प्रकार है:

"354. किसी महिला पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग उसकी शील भंग करने के इरादे से या यह जानते हुए कि वह ऐसा करके उसकी शील भंग करेगा, कोई भी व्यक्ति उस पर हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है, तो उसे दो वर्ष तक की अवधि के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा।"

जहां तक भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अंतर्गत अपराध का संबंध है, महिला की शील भंग करने का इरादा या यह ज्ञान कि अभियुक्त के कृत्य से उसकी शील भंग होगी, अपराध का मुख्य कारण है।

एक महिला की शालीनता का सार उसका लिंग है। आरोपी का दोषी इरादा ही मामले का सार है। महिला की प्रतिक्रिया बहुत प्रासंगिक है, लेकिन इसकी अनुपस्थिति हमेशा निर्णायक नहीं होती। शालीनता एक ऐसा गुण है जो एक वर्ग के रूप में महिला मनुष्यों से जुड़ा है। यह एक ऐसा गुण है जो एक महिला को उसके लिंग के कारण मिलता है।

'शील' का अर्थ है "व्यवहार की स्त्रीवत मर्यादा, विचार, वाणी और आचरण की (पुरुष या महिला में) ईमानदारीपूर्ण शुद्धता; अशुद्ध या असभ्य सुझावों के प्रति सहज घृणा से उत्पन्न संकोच या शर्म की **भावना**"[19]।

यह पता लगाने के लिए कि क्या किसी महिला की शील का उल्लंघन किया गया है, उस पर हमला किया गया है या उसका अपमान किया गया है, अंतिम परीक्षण यह है कि अपराधी की हरकत ऐसी होनी चाहिए कि उसे महिला की शालीनता को झकझोरने वाला माना जा सके। किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से किसी महिला के पिछले हिस्से पर थप्पड़ मारना उसकी शील का अपमान करने के बराबर होगा क्योंकि यह न केवल सामान्य स्त्री शालीनता की भावना का अपमान है बल्कि महिला की गरिमा का भी अपमान है।[20]

'विनम्रता' शब्द की व्याख्या किसी विशेष पीड़ित के संदर्भ में नहीं की जानी चाहिए, बल्कि इसे एक वर्ग के रूप में महिला मानव से जुड़े गुण के रूप में समझा जाना चाहिए। यह एक ऐसा गुण है जो किसी महिला को उसके लिंग के आधार पर दिया जाता है।[21]

हम विभिन्न न्यायालयों के मामलों को पुनः प्रस्तुत करना उचित समझते हैं, जिसमें उन परिस्थितियों का उल्लेख है जिनमें न्यायालय ने अभियुक्तों को धारा 354 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषी ठहराया।

केरल राज्य बनाम हम्सा[22] में, यह निम्नानुसार कहा गया था:

19. Raju Pand11rang Mahale v. State of Maharashtra. [2004] 4 SCC 371.
20. Rupan Deol Bajaj v. Kanwar Pal Singh Gill, reported in AIR (1996) SC 309.
21. Major Singh Lachhman Singh v. State AIR (1963) Pun 443.
22. (1988) 3 Crimes 161.

"जब विधानमंडल ने दंड संहिता की धारा 354 और 509 में शील शब्द का इस्तेमाल किया था, तो उसके मन में एक ऐसे गुण की सुरक्षा थी जो महिलाओं के लिए विशिष्ट है, एक ऐसा गुण जो किसी महिला को उसके लिंग के आधार पर प्राप्त होता है। शील महिला लिंग का गुण है और वह अपनी उम्र की परवाह किए बिना इसे धारण करती है। दोनों अपराध न केवल संबंधित महिला के हित में बनाए गए थे, बल्कि सार्वजनिक नैतिकता के हित में भी बनाए गए थे। किसी महिला की शील भंग करने का सवाल निश्चित रूप से लोगों के रीति-रिवाजों और आदतों पर निर्भर करेगा। जो कार्य नैतिकता के लिए अपमानजनक हैं, वे महिलाओं की शील के लिए अपमानजनक होंगे। महिला की शील की सीमा को मापने के लिए सार्वभौमिक अनुप्रयोग का कोई विशेष पैमाना नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि यह देश-दर-देश या समाज-दर-समाज अलग-अलग हो सकता है।"

प्रसिद्ध लेखक *केनी* ने अपनी पुस्तक ***"आउटलाइन्स ऑफ क्रिमिनल लॉ"***[23] में महिला पर अभद्र हमले के पहलू पर चर्चा की है। संबंधित अंश इस प्रकार है:

"इंग्लैंड में यौन अपराध अधिनियम, 1956 के अनुसार, किसी भी उम्र की महिला पर अभद्र हमला करना दुष्कर्म माना जाता है और सोलह वर्ष से कम उम्र के बच्चे या युवा व्यक्ति पर अभद्र हमले के आरोप में यह कोई बचाव नहीं है कि उसने अभद्रता के कृत्य के लिए सहमति दी थी।"

पंजाब राज्य बनाम मेजर सिंह[24] के मामले में, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या 7½ महीने की बच्ची की शील भंग की जा सकती है। बहुमत का मत सकारात्मक था। बहुमत की ओर से जस्टिस बछावत ने निम्नलिखित राय व्यक्त की:

"धारा 354 के तहत दंडनीय अपराध किसी महिला पर हमला करना या उस पर

---

23. 19th Edn., para 146 p. 203.

24. AIR (1967) SC 63

आपराधिक बल का प्रयोग करना है, जिसका उद्देश्य उसकी शील भंग करना हो या ऐसा करने की संभावना के बारे में जानना हो। संहिता "शील भंग" को परिभाषित नहीं करती। फिर महिला की शील भंग क्या है? महिला की शील भंग का सार उसका लिंग है। एक वयस्क महिला की शील भंग उसके शरीर पर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। युवा या वृद्ध, बुद्धिमान या मूर्ख, जागती हुई या सोती हुई, महिला में शील भंग होने की क्षमता होती है। जो कोई भी उसकी शील भंग करने के इरादे से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करता है, वह धारा 354 के तहत दंडनीय अपराध करता है। आरोपी का दोषपूर्ण इरादा मामले का सार है। महिला की प्रतिक्रिया बहुत प्रासंगिक है, लेकिन इसकी अनुपस्थिति हमेशा निर्णायक नहीं होती है, उदाहरण के लिए, जब भ्रष्ट दिमाग वाला आरोपी चुपके से सो रही महिला के शरीर को छूता है। वह मूर्ख हो सकती है, वह एनेस्थीसिया के प्रभाव में हो सकती है, वह सो रही हो सकती है, वह कृत्य के महत्व को समझने में असमर्थ हो सकती है, फिर भी, इस धारा के अंतर्गत अपराधी को दण्ड दिया जा सकता है।

कम उम्र की महिला कुछ अलग स्थिति में होती है। यहाँ शरीर अपरिपक्व होता है, और उसकी यौन शक्तियाँ निष्क्रिय होती हैं। इस मामले में, पीड़ित साढ़े सात महीने की बच्ची है। उसमें अभी तक शर्म की भावना विकसित नहीं हुई है और उसे सेक्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिर भी, अपने जन्म से ही उसमें शालीनता होती है जो उसके लिंग का गुण है।"

कन्हू चरण पात्र बनाम राज्य[25] में, उड़ीसा उच्च न्यायालय ने निम्न प्रकार से कहा:

"आरोपी ने घर में प्रवेश किया और दो बढ़ती उम्र की लड़कियों द्वारा अंदर से बंद किए गए दरवाजे को तोड़ दिया और उनके साथ छेड़छाड़ की, लेकिन वे कुछ और नहीं कर सके क्योंकि लड़कियाँ भागने में सफल रहीं। अभियोजित किए जाने पर यह माना गया कि आरोपियों

---

25. (1996) CrLJ 1151 Orissa.

का कृत्य गंभीर प्रकृति का था और उन्होंने इसे दुस्साहसिक तरीके से किया था। इस प्रकार, धारा 354/34 के तहत उनकी दोषसिद्धि उचित मानी गई।"

जय चंद बनाम राज्य[26] के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने निम्न प्रकार से टिप्पणी की:

"एक अन्य मामले में आरोपी ने अभियोजित महिला को जबरन बिस्तर पर लिटा दिया था और उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ दिया था, लेकिन उसने अपने कपड़े उतारने का कोई प्रयास नहीं किया और जब अभियोजित महिला ने उसे दूर धकेला, तो उसने उसे फिर से पकड़ने का कोई प्रयास नहीं किया। यह माना गया कि यह बलात्कार का प्रयास नहीं था, बल्कि केवल महिला की गरिमा को ठेस पहुँचाने का मामला था और धारा 354 के तहत दोषसिद्धि उचित थी।"

राजा बनाम राजस्थान राज्य[27] में, यह निम्नानुसार कहा गया था:

"आरोपी नाबालिग को एकांत स्थान पर ले गया, लेकिन बलात्कार नहीं कर सका। आरोपी की सजा को धारा 376/511 से बदलकर धारा 354 के तहत कर दिया गया।"

कर्नाटक राज्य बनाम खलीफ[28] में न्यायालय ने निम्नलिखित कहा:

"जब आरोपी छेड़छाड़ का प्रयास कर रहा था, तब उसके माता-पिता गन्ने के खेत में पहुंचे और वह तुरंत वहां से भाग गया। बलात्कार के आरोप के समर्थन में कोई सबूत नहीं था और आरोपी को धारा 376 के तहत आरोप से बरी कर दिया गया, लेकिन उसे धारा 354/511 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया गया।"

नूना बनाम एम्परर[29] में न्यायालय ने निम्नलिखित कहा:

26. (1996) CrLJ 2039 Delhi
27. (1998) CrLJ 1608 Rajasthan.
28. (2004) CrLJ NOC 10.
29. 15 IC 309:Crl.J. 469.

"आरोपी ने लड़की के कपड़े उतारे, उसे ज़मीन पर फेंका और फिर उसके पास बैठ गया। उसने उससे कुछ नहीं कहा और न ही उसने कुछ और किया। यह माना जाता है कि आरोपी ने धारा 354 आईपीसी के तहत अपराध किया है और वह बलात्कार करने के प्रयास का दोषी नहीं है।"

बिश्वेश्वर मुर्मू बनाम राज्य[30] में न्यायालय ने निम्नलिखित कहा:

"साक्ष्यों से पता चला कि अभियुक्त ने पीड़िता का हाथ पकड़ लिया था और जब अभियोजन पक्ष का एक गवाह पीड़िता की आवाज सुनकर वहां आया, तो धारा 376/511 के तहत अपराध नहीं बनाया गया और पीड़िता की लज्जा भंग करने के लिए दोषसिद्धि को धारा 354 के तहत अपराध में बदल दिया गया।"

केशव पधान बनाम उड़ीसा राज्य[31] में न्यायालय ने निम्नलिखित कहा:

"शीलभंग का परीक्षण यह है कि क्या एक विवेकशील व्यक्ति यह सोचेगा कि अपराधी का कृत्य महिला के शीलभंग करने के इरादे से किया गया था या ऐसा करने की संभावना थी। वर्तमान मामले में, लड़की की आयु 15 वर्ष थी और आधी रात को जब वह अपनी मां के साथ वापस आ रही थी, तो याचिकाकर्ता का एक गली से अचानक प्रकट होना और उसे उस ओर खींचना धारा 354 के तत्वों को पर्याप्त रूप से स्थापित करता है।"

राम मेहर बनाम हरियाणा राज्य[32] में न्यायालय ने निम्नलिखित कहा:

"आरोपी ने अभियोक्ता को पकड़ लिया, उसे उठा लिया और फिर उसे बाजरे के खेत में ले गया, जहाँ उसने उसे नीचे गिरा दिया और उसकी सलवार खोलने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं कर सका क्योंकि आरोपी को शक्तिहीन करने के लिए अभियोक्ता ने दरांती से वार

---

30. (2004) CrLJ 326 Jharkhand.

31. (1976) Cuttack LR (Cr) 236.

32. (1998) CrLJ (1999) Punjab & Haryana.

करके उसे घायल कर दिया था। आरोपी अपना रक्त का नमूना देने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप यह माना जा सकता है कि उसकी बेगुनाही संदिग्ध थी। अभियोक्ता के नेत्र संबंधी साक्ष्य की पुष्टि अन्य साक्ष्यों से भी हुई। यह माना गया कि धारा 354, 376/511 के तहत आरोपी को दोषी ठहराया जाना उचित था, लेकिन नरम रुख अपनाते हुए उस पर केवल दो साल की सज़ा और 1000/- रुपये का जुर्माना लगाया गया।"

रामेश्वर बनाम हरियाणा राज्य[33] के मामले में, न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

"क्या कोई निश्चित कार्य किसी विशेष अपराध को करने का प्रयास है, यह तथ्य का प्रश्न है जो अपराध की प्रकृति और उसे करने के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक कदमों पर निर्भर करता है। केवल तैयारी और अपराध करने के वास्तविक प्रयास के बीच का अंतर मुख्य रूप से दृढ़ संकल्प की अधिक डिग्री में निहित है। बलात्कार करने के प्रयास के अपराध के लिए, अभियोजन पक्ष को यह स्थापित करना होगा कि यह तैयारी के चरण से आगे निकल गया है।"

शौकत बनाम राजस्थान राज्य[34] में न्यायालय ने निम्नलिखित कहा:

"आरोपी अभियोक्ता नर्स को एक मरीज को देखने के उद्देश्य से ले गया था, लेकिन रास्ते में उसने उसके साथ छेड़छाड़ करने और उसे पीटने की कोशिश की। आरोपी को धारा 354/366 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया गया क्योंकि उसने धोखे से अभियोक्ता को उसके घर से ले लिया था और फिर उसका शील भंग किया था।"

हमने भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 366 और 354 के तहत महिला/लड़की की गरिमा को ठेस पहुँचाने से संबंधित प्रावधानों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया है। यह अभ्यास इन प्रावधानों के तहत अपराधों के दायरे और दायरे को स्पष्ट रूप से बताने के लिए किया गया था। रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों और दस्तावेजों के आधार पर,

---

33. (1984) CrLJ 786 Punjab & Haryana

34. (2002) CrLJ 364 Rajasthan

हमारा विचार है कि धारा 376/511 आईपीसी के तहत अपीलकर्ता की सजा पूरी तरह से गलत और अस्थिर है और परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय और ट्रायल कोर्ट के फैसले को खारिज किया जाता है।

रिकॉर्ड पर मौजूद सभी साक्ष्यों और दस्तावेजों के मूल्यांकन के बाद, हमारे विचार से, अपीलकर्ता स्पष्ट रूप से धारा 366 और 354 आईपीसी के तहत अपराधों का दोषी है। इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में,

अपीलकर्ता को धारा 366/354 आईपीसी के तहत दोषी ठहराकर न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति की जाएगी। अपीलकर्ता को धारा 366 आईपीसी के तहत पांच साल के कारावास की सजा सुनाई जाती है। अपीलकर्ता को धारा 354 आईपीसी के तहत भी दोषी ठहराया जाता है और दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है। हम दोनों सजाओं को एक साथ चलाने का निर्देश देते हैं।

अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा तदनुसार निपटारा किया जाता है।

बी.एस. अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

<u>यह अनुवाद मधु कुमारी, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया है।</u>